

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर (भागलपुर)

का.आ.सं.: नि.प्र./33(II)/.....138.....

दिनांक: 04/09/2017

कार्यालय आदेश

श्री उमाशंकर शर्मा, वरीय अंकेक्षक द्वारा कार्यालय अवधि के दौरान मोबाईल पर गाना सुनते हुए पाये जाने पर विश्वविद्यालय पत्रांक 626 दिनांक 01.08.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री शर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त असंतोषप्रद पाया गया।

उक्त आरोप को सही पाये जाने के आलोक में श्री शर्मा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) तृतीय संशोधन नियमावली 2010 के नियम 14 में प्रावधानित स्पष्टीकरण (3) के अधीन चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में ऐसे कार्य का पुनरावृत्ति न करें।

इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जाय।

कुलपति के आदेश से,

ह./-

निदेशक प्रशासन

ज्ञापांक: नि.प्र./33(II)/.....

दिनांक: 2017

प्रतिलिपि श्री उमाशंकर शर्मा, वरीय अंकेक्षक/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-

निदेशक प्रशासन

ज्ञापांक: नि.प्र./33(II)/.....

दिनांक: 2017

प्रतिलिपि सभी अधिष्ठाता/निदेशक/कुलसचिव, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह./-

निदेशक प्रशासन

ज्ञापांक: नि.प्र./33(II)/.....839.....

दिनांक: 04/09/2017

प्रतिलिपि प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन
04/09/17